ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती किरणा देवी	1.4.14 से 28.5.14
		16.6.14 से 15.8.14
		1.9.14 से 30.11.14
		10.9.15 से 31.3.17
2	श्री धर्म चन्द (कार्यवाहक)	29.5.14 से 15.6.14
		16.8.14 से 31.8.14
		1.12.14 से 9.9.15

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजीव कुमार	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत बड़सर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर पाया जाना	0.12
2	9	अनुदान राशि का उपयोग न करना	24.51
3	10	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	0.94
4	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	8.73
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.18

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.10.14 से 14.10.14 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014—15	02/2015	12/2014
2015—16	04/2015	09/2015
2016—17	06/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की

अवस्था में इस अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2017 दिनांक 14.10.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बड़सर से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत बड़सर के ड्राफ्ट संख्या 762457 दिनांक 24.10.2017 काँगड़ा, केन्द्रीय सहकारी बैंक, नगरी शाखा द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बड़सर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(क) स्वःस्त्रोतों एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत बड़सर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों (विविध) एवं अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

परिशिष्ट–1

		प्राप्ति		कुल	व्यय		अन्तिम शेष
वर्ष	अथशेष	स्वःस्त्रोत	अनुदान		स्वःस्त्रोत	अनुदान	
2014–15	538299.50	58670	872583	1469552.50	51067.50	583102	835383
2015–16	835383.00	159587	811365	1806335	34379.00	424855	1347101
2016–17	1347101.00	116308	1662818	3126227	76257.00	534136	2515834
		दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष					
		रोकड़ बही					2515834
		बैंक (विवरण संलग्न)					2503719
		हस्तगत राशि					50

ग्राम पंचायत बड़सर
विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश

क्र0 सं0	बैंक	खाता संख्या	दिनांक 1.4.2014 को अथशेष	दिनांक 31.3.17 को अथशेष
1	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक नगरी	20081005324	447691.50	2078408.50
2	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100103129	1208.00	27051.00
3	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100087953	7360.00	65173.00
4	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100101176	28403.00	0.00
5	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100103095	5301.00	19072.00
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100103138	1.00	2942.00
7	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100103165	0.00	8338.00
8	हिमाचल ग्रामीण बैंक चचियाँ	87710100103077	47419.00	0.00
9	आई0डी0बी0आई0 बैंक जिया	1419104000013250	0.00	259684.00
10	आई0डी0बी0आई0 बैंक जिया	1419104000013350	0.00	683.00
11	आई0डी0बी0आई0 बैंक जिया	1419104000013360	0.00	42368.00
			₹537383.50	₹2503719.50
	दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष	बैंक	2503719.50	
		हस्तगत राशि	50.00	
			₹2503769.50	

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹0.12 लाख का अन्तर पाया जानाः–

ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹12065 का अन्तर पाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान अनिवार्य है।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों से बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष एवं न ही अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र आय और व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उस का शेष शून्य कर दिया जा रहा है जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है। क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करवाने के उपरान्त व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त शेष राशि की प्रविष्टियों को आगामी कार्य दिवस पृष्ठ के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखांकन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाए जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु 1.4.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया

गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलन को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹3494 की वसूली शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	0.00	14190	14190	120	14070
2015–16	14070	14400	28470	13816	14654
2016–17	14654	14400	29054	25560	3494

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹24.51 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "5"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹2451148 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 प्राप्त अनुदानों से ₹0.94 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत बड़सर द्वारा अनुदान प्राप्ति व व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–5)** की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक ₹94007 का व्यय विभिन्न प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक किया गया था। ग्राम पंचायत को

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों में वर्णित शर्त पत्र अनुसार सम्बन्धित मद में व्यय की जाने वाली राशि को प्राप्त अनुदान तक सीमित किया जाना अपेक्षित होता है एवं प्राप्त अनुदान से अधिक राशि का व्यय उस मद में नहीं किया जा सकता है।

अतः पंचायत द्वारा व्यय को प्राप्त अनुदान तक सीमित न करना अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित संस्था से उठाकर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹8.73 लाख का अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक के राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "6"** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹873363 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया जोकि नियम के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूरा किए बिना ही ₹1.18 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया कि **"परिशिष्ट–7"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹118225 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11, 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी सामग्री का स्टॉक रजिस्टर और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विविधः–

(क) ग्राम पंचायत बड़सर द्वारा आई0 डब्लयू0 डी0पी0 की रोकड़ बही से वर्ष 2015–16 में वाउचर संख्या 1 दिनांक 21.9.2015 द्वारा ₹60775 का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी,

भवारना के पक्ष में चैक संख्या 584429 दिनांक शून्य, हिमाचल ग्रामीण बैंक, शाखा नगरी से दर्शाया गया है एवं उक्त राशि की दिनांक 21.10.2015 को बचत खाते से निकासी की गई है। किन्तु खण्ड विकास अधिकारी भवारना कार्यालय से उक्त राशि की प्राप्ति की रसीद अथवा कोई अन्य अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। जिसके अभाव में उक्त निकासी को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उक्त राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीद अथवा अन्य अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि उक्त व्यय को तदानुसार नियमित किया जा सके।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही से वर्ष 2016–17 में वाउचर संख्या 95 दिनांक 27.3.2017 द्वारा ₹8160 का भुगतान मजदूरों की मजदूरी के रूप में मस्ट्रोल संख्या 4956 व 4957 अवधि 1.3.2017 से 15.3.2017 के एवज में "निर्माण कार्य Flood Protection wall near Land of Amar chand" हेतु किया गया है एवं मस्ट्रोल अनुसार इसकी कार्य प्रगति माप पुस्तिका 10092 के पृष्ठ संख्या 5 व 6 में दर्ज की गई है। माप पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि उक्त माप पुस्तिका के पृष्ठ 5 व 6 खाली थे एवं उनमें उक्त कार्य की कार्य प्रगति दर्ज नहीं थी। अतः कार्य की कार्य प्रगति माप पुस्तिका में दर्ज न होने के कारण किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिस बारे में विभागीय स्तर पर जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए व यदि यह कार्य वास्तव में किया गया है तो इसकी कार्य प्रगति तदानुसार माप पुस्तिका में दर्ज करने उपरान्त जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही से वर्ष 2016–17 में वाउचर संख्या 87 से 89 दिनांक 7.3.2017 द्वारा श्री विनोद कुमार, गाँव व डाकघर राख को ₹5950 का भुगतान 170 बैग सीमेन्ट के ढुलान हेतु ₹35 प्रति बैग की दर से किया गया है। अभिलेंख की जाँच में पाया गया कि उक्त ढुलान बिल में दर्शाये गये विवरण अनुसार जिन बिलों द्वारा क्रय सीमेंन्ट का ढुलान दर्शाया गया है उन बिलों द्वारा केवल 160 बैग सीमेंन्ट का ही क्रय किया गया है एवं इस प्रकार पंचायत द्वारा ढुलान के रूप में ₹350 (35X10 बैग) का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़ बहियों के लेखन/रख रखाव एवं स्कंध पंजिकाओं व अन्य विविध अभिलेख के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 157/2017–खण्ड–1–2180–2183 दिनाँक 27.03.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बड़सर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881